MARUTI SUZUKI
Way of Life!

MSIL: COS: NSE&BSE: 2020/Adv

30th July, 2020

Vice President
National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza", Bandra- Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai - 400 051

General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400 001

Sub: Copy of published results

Dear Sir,

Please find attached herewith the copy of financial results for the quarter ended 30th June, 2020 as published in requisite newspaper as per the requirement of regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,

For **Maruti Suzuki India Limited**

Sanjeev Grover
Vice President &
Company Secretary

Encl.: As above

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

Head Office:
Maruti Suzuki India Limited,
1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj,
New Delhi - 110070, India.
Tel: 011- 46781000, Fax: 011-46150275/46150276
E-mail id: contact@maruti.co.in, www.marutisuzuki.com

Gurgaon Plant:
Maruti Suzuki India Limited,
Old Palam Gurgaon Road,
Gurgaon - 122015, Haryana, India.
Tel: 0124-2346721, Fax: 0124-2341304

Manesar Plant:
Maruti Suzuki India Limited,
Plot No.1, Phase - 3A, IMT Manesar,
Gurgaon - 122051, Haryana, India.
Tel: 0124-4884000, Fax: 0124-4884199

CIN: L34103DL1981PLC011375

आज का दिन वर्ष 1980 में प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश वानुआतू को स्वतंत्रता मिली।

POSTAL REG. NO. DL (ND)-11/6057/2015-16-17 "Licensed to post without prepayment" LICENCE No. U(C)-116/2006-08

लॉकडाउन से बदरीनाथ में कई किस्मों के फूल खिले

हिन्दुस्तान नेटवर्क

बदरीनाथ | अजय लाल

यूं तो फूलों की घाटी कई पुष्प प्रजातियों के लिए विश्व भर में विख्यात है। लेकिन इस वर्ष कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते बदरीनाथ में वाहनों एवं लोगों की आवाजाही ना होने के कारण बदरीनाथ का वातावरण शुद्ध एवं स्वच्छ है। इसके चलते फूलों की घाटी में पाए जाने वाले अनेकों फूलों की प्रजातियां बदरीनाथ में भी उगने लगी हैं। धाम में ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि तुलसी के वनों में तुलसी के साथ फूलों की घाटी में पाए जाने वाले अनेकों विचित्र प्रजातियां उगने लगे।

बदरीनाथ क्षेत्र में उगी फूलों की घाटी की पुष्प प्रजातियां।

कई प्रजातियों के फूल

बदरीनाथ धाम में आजकल रेनिमूल, जिरिनियम, थाइमस, प्लडिक्लोरस, एसिशिला, कोबरालीली, स्नेकलीली, मोरिना, निपिता, प्रिमूला, वाइल्ड रोज, सनफ्लावर जैसी अनेकों पुष्प प्रजातियां उगने लगी हैं। बदरीनाथ में लगभग 200 हेक्टेयर भूमि में स्पेसिस प्रजातियों के फूल आजकल उग रहे हैं।

कई हेक्टेयर में उगते हैं ब्रह्मकमल

इसके साथ ही नीलकंठ पर्वत की तलहटी पर पहले से ही ब्रह्मकमल उगते हैं। नीलकंठ पर्वत पर कई हेक्टेयर भूमि में ब्रह्मकमल का मैदान फैला हुआ है।

अधिकारी बोले

गोविंदघाट के वनक्षेत्राधिकारी बृजमोहन भारती का कहना की लॉकडाउन के चलते वाहनों और मानवों की आवाजाही कम होने से बदरीनाथ धाम का वातावरण आजकल शुद्ध हो गया है। इस कारण बदरीनाथ में भी फूलों की घाटी में पाई जाने वाली पुष्प प्रजातियां यहां भी उगने लगी हैं। आजकल बदरीनाथ क्षेत्र में रंगबिरंगे फूल सुगंध फैला रहे हैं। यह नजारा देखने में बहुत ही अद्भुत लग रहा है।

1.70 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 6.64 लाख से अधिक ने जान गंवाई

दुनिया में हर घंटे 20 हजार मामले

कहर

वाशिंगटन | एजेंसी

कोविड-19 का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनियाभर में सिर्फ दो दिन में संक्रमण के 10 लाख मामले सामने आए हैं। इस तरह देखे तो दुनिया में हर घंटे 20 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।

दुनिया में अब तक 1.70 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 6.64 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों के मामले में अमेरिका दुनियाभर में पहले और ब्राजील दूसरे स्थान पर है। वहीं, इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 1,04,86,331 लोग स्वस्थ हुए हैं। जबकि 57,72,758 सक्रिय मामले हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के कुल 45 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं तथा 1,52,320 लोगों की मौत हो चुकी है।

इजरायल में 2,308 मामले सामने आए

येरुशलम। इजरायल में कोरोना के 2,308 नए मामले आए हैं जो एक दिन में सर्वाधिक मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। इससे पहले 22 जुलाई को यहां कोरोना के 2,043 मामले दर्ज हुए थे। कोरोना के मामले बढ़ने से यहां इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 66,293 हो गई है। इस बीच 12 और लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 486 हो गई है।

चीन के शेनयांग में एक व्यक्ति का नमूना लेते हुए चिकित्साकर्मी। • एएफपी

चीन : एक दिन में 101 केस

बीजिंग | एजेंसी

चीन में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाने के तीन महीने बाद देश में पहली बार एक दिन में संक्रमण के 100 से अधिक मामले सामने आए हैं।

चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बुधवार को बताया कि 101 मामलों में से 98 मामले स्थानीय स्तर पर संक्रमण के हैं, वहीं तीन मामले विदेशी लोगों से संबंधित हैं। इसकी जानकारी मंगलवार को मिली। आयोग ने अपनी नियमित रिपोर्ट में कहा कि स्थानीय स्तर पर संक्रमण के 98 मामलों में से 89 मामले शिंजियांग उइगुर स्वायत्तशासी क्षेत्र से हैं। लिआओनिंग प्रांत से आठ और एक मामला बीजिंग नगर निगम से सामने आया है।

पाकिस्तान में 1,063 नए मामले

इस्लामाबाद। पड़ोसी देश पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,063 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या 2,76,287 हो गई। वहीं, 27 और लोगों की मौत होने से कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 5,892 हो गई है।

ऐश्वर्या ने प्रशंसकों का आभार जताया

मुंबई। कोरोना महामारी को मात देने के बाद अस्पताल से घर पहुंचीं अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने प्रशंसकों का आभार जताया है। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिल से हाथ जोड़ते हुए धन्यवाद करने वाली एक पोस्ट की है।

ऐश्वर्या ने लिखा, आराध्या, पापा, अभिषेक और मेरे लिए आप सबकी दुआओं, चिंता, प्रार्थना और प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सच में हमेशा के लिए मैं आपकी कर्जदार हो गई हूं। अभिनेत्री ने आगे लिखा, मेरा आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार और प्रार्थनाएं। दिल की गहराई से आप लोगों का धन्यवाद। ऐश्वर्या की यह पोस्ट वायरल हो गई है। महज 18 घंटे में इसे 5.12 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। दूसरी तरफ, महानायक अमिताभ बच्चन व अभिनेता अभिषेक बच्चन 11 जुलाई से ही नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। **(एजेंसी)**

तंबाकू सेवन से संक्रमण का खतरा अधिक

नई दिल्ली | एजेंसी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया है कि धूम्रपान करने वालों पर कोरोना वायरस की चपेट में आने का खतरा अधिक है। तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल से श्वसन संबंधी संक्रमण बढ़ सकता है। धूम्रपान के दौरान विषाणु के हाथ से मुंह तक पहुंचने की आशंका अधिक रहती है।

मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी और भारत में तंबाकू का इस्तेमाल विषय पर अपना दस्तावेज जारी किया है।

चेतावनी

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को आगाह किया
- कोरोना से धूम्रपान करने वालों के मरने की आशंका अधिक

विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि धूम्रपान करने वालों में कोरोना वायरस के अधिक गंभीर लक्षण दिखने या उनके मरने की आशंका अधिक है। इसलिए लोगों को तंबाकू उत्पादों का सेवन करने के खिलाफ आगाह किया गया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि-एक ही हुक्का के जरिये कई लोग धूम्रपान करते हैं जिससे कोविड-19 के फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

फेफड़े का संक्रमणः धूम्रपान, ई-सिगरेट, बिना धुएं वाले तंबाकू, पान मसाला और ऐसे अन्य उत्पादों के इस्तेमाल से फेफड़े का संक्रमण और इसकी तीव्रता बढ़ सकती है। इससे शरीर के लिए विभिन्न बीमारियों से लड़ना मुश्किल हो जाता है।

पीपीई किट से डॉक्टर 'हीट स्ट्रेस' का शिकार हो रहे

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान ब्यूरो

दुनिया का बढ़ रहा तापमान यूं तो हर किसी पर असर दिखा रहा है लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर कोरोना योद्धा महसूस कर रहे हैं। अस्पतालों में पीपीई किट पहनकर लंबी ड्यूटी करने वाले डॉक्टर, नर्स व दूसरे हेल्थ वर्कर 'हीट स्ट्रेस' का शिकार हो रहे हैं।

उनके शरीर का तापमान इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि काम करते-करते वे गिरकर बेहोश भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा पसीना और गर्मी के कारण उन्हें मरीज पर ध्यान केंद्रित करने में भी परेशानी हो रही है। हाल के महीनों में अमेरिका, भारत, ब्रिटेन समेत जिन देशों ने तेज गर्मी का सामना किया है, वहां काम के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों के लिए हीट स्ट्रेस बड़ा खतरा बना रहा। तमाम देशों के मेडिकल संगठनों ने स्वास्थ्यकर्मियों पर बढ़ रहे इस खतरे पर चिंता जताई है।

खुद को इस खतरे से बचाए रखने के लिए डॉक्टर पीईई किट पहनकर ड्यूटी करने के दौरान अपने तापमान को एक विशेष तकनीक से नापते रहते हैं। यह तकनीक 'वेट बल्ब ग्लोब टेंप्रेचर इंडेक्स' है, जिस पर तापमान 29-सी हो जाए तो उसे गंभीर स्थिति माना जाता है। पर भारत, सिंगापुर व अन्य देशों के डॉक्टरों ने कई बार अपना ताप 30 से ऊपर पाया।

क्या हैं कारण

इस समय अस्पतालों में एसी नहीं चल रहे हैं, जिससे वातावरण की गर्मी और आर्द्रता है। ऐसे में बाहरी गर्मी के कारण पीपीई किट पहने हेल्थवर्कर के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। किट प्लास्टिक की कई परतों से बनी होती है, इसे पहनने के बाद पसीना वाष्पित नहीं हो पाता, जिससे आंतरिक तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है।

तनाव और वजन घटने से परेशान

भारत समेत दुनिया में संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे स्वास्थ्यकर्मी थकान, वजन कम होने जैसी समस्या झेल रहे हैं। अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन का कहना है कि काम का बोझ बहुत ज्यादा होने और परिवार से दूरी बनाकर रखने के कारण वे गहरे मानसिक तनाव में हैं। बर्नआउट की स्थिति महसूस कर रहे हैं। आठ घंटे तक पीपीई किट पहनने से वे लंबे वक्त तक पानी नहीं पी पाते, न शौच जा सकते हैं।

सैनेटाइजर बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं

बदलाव

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

केंद्र सरकार ने देश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सेनेटाइजर बेचने से जुड़े अहम नियम बदल दिए हैं। अब इसे बेचने और इसके भंडारण के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी।

केंद्र की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तमाम प्रतिनिधियों ने सरकार से इसे लाइसेंस के दायरे से हटाने की मांग की थी। बढ़ती महामारी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये फैसला लिया है।

इसके लिए सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम 1945 में बदलाव कर सेनेटाइजर को छूट दी गई है। मौजूदा समय में सरकार इस बात को समझती है कि हैंड सेनेटाइजर मौजूदा हालात में बेहद जरूरी चीज है और लोगों के लिए इसकी उपलब्धता आसान बनाई जानी चाहिए। यही वजह है कि ये फैसला लिया गया।

तमिलनाडु के राज्यपाल पृथकवास में

चेन्नई | एजेंसी

तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित एक सप्ताह तक पृथक-वास में रहेंगे। राजभवन में तीन और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर यह फैसला लिया है। राजभवन की ओर से बुधवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल तंदुरुस्त और स्वस्थ हैं।

साथ ही इसमें यह संकेत दिया गया कि एहतियात के तौर पर पृथक-वास का कदम उठाया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि संक्रमित तीनों लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में भर्ती कराया है और उनका इलाज चल रहा है।

गुमशुदा की तलाश

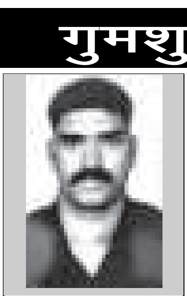

षिजु

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम हविलदार षिजु **P No. 15776171Y Unit 140AD Regiment (SP)** पुत्र माधवन सी.पी. पता मकान पोलाप्पनातिल हाउस गांवः पूलाकोड, पोस्ट ऑफिस वल्लालाशेरी, जिलाः कालीकट, केरल, जो दिनांक : 29.05.2019 को समय करीब 6 बजे सुबह प्रवेश द्वार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन किरण पालस के सामने पहाड़गंज से अपहृत है। इस संदर्भ में एफआईआर सं. 208/2019 तिथि : 19.07.2019 धारा 365 भा.द.सं. के तहत थाना पहाडगंज दिल्ली, में अपहृत दर्ज है। अपहृत व्यक्ति का ब्यौरा इस प्रकार है।

नाम : हविलदार षिजु **P No. 15776171Y Unit 140AD Regiment (SP) पिता का नाम** : माधवन सी पी, **उम्र** : 36 साल, **कदः** 6 फुट, **रंग** : सांवला, **चेहरा** : अण्डाकार, **शरीर** : साधारण, **पहनावा** : मल्टीकलर भूरा रंग के टी–शर्ट, ब्लू जीन्स पेन्ट पहने हुए है। जिसकी दिमागी हालत ठीक नही हैं।

अगर किसी व्यक्ति को इस अपहृत व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी/सूचना मिले तो कृपया निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सूचित करें।

वेबसाइट : http://cbi.nic.in
ई–मेल : cic@cbi.gov.in
फैक्स : 011-24368639
फोन : 011-24368638, 24368641

थानाध्यक्ष
थाना : पहाड़गंज, दिल्ली
फोन : 011-23520787, 23524746, 8750870427

DP/230/CD/2020

पहचान की अपील

आम जनता को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका **नामः** नामालूम, **पुत्रः** नामालूम, **पताः** नामालूम, **उम्रः** लगभग 56 साल, **कदः** 5'10'', **लिंगः** पुरुष, **रंगः** गोरा, **शरीरः** मजबूत, **चेहराः** अण्डाकार, **पहनावाः** काली रंग की टी–शर्ट एवं पैंट पहने था, **बरामदी स्थलः** जो गली नं. 10, शिव नगर, दिल्ली–64 में बेहोशी के अवस्था में मिला और जिसे **MLC No-5198 / 2020** दिनांक 15.07.20 द्वारा **DDU** अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

इस सम्बंध में **DD No.-66A, U/s 174 Cr.P.C., दिनांक 17.07.2020 पुलिस स्टेशन, हरी नगर, दिल्ली** में दर्ज है। यदि इसके बारे में कोई सुराग या जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत निम्नलिखित पते पर दें।

थाना प्रमुख
पुलिस स्टेशन, हरी नगर, दिल्ली
फोनः 011-28525719,
MOB. 8750871128, 9990094497

DP/161/WD/2020

MARUTI SUZUKI

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

Registered Office: Plot No.1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi - 110070

CIN: L34103DL1981PLC011375; Website: www.marutisuzuki.com; E-mail: investor@maruti.co.in; Phone: + 91-11-46781000; Fax: +91-11-46150275/76

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020

INR in million, except per share data

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended
		June 30, 2020	March 31, 2020	June 30, 2019	March 31, 2020
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	41,065	1,81,987	1,97,198	7,56,106
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	(3,457)	15,755	19,109	70,648
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(3,457)	15,755	19,109	70,648
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(2,494)	12,917	14,355	56,506
5	Total Comprehensive Income /(Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income /(Loss) (after tax)]	(1,507)	10,732	12,661	52,089
6	Equity Share Capital	1,510	1,510	1,510	1,510
7	Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				4,82,860
8	Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations)				
	(a) Basic	(8.26)	42.76	47.52	187.06
	(b) Diluted	(8.26)	42.76	47.52	187.06

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020

INR in million, except per share data

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended
		June 30, 2020	March 31, 2020	June 30, 2019	March 31, 2020
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	41,106	1,82,077	1,97,326	7,56,600
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	(3,697)	16,186	18,530	71,028
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(3,697)	16,186	18,530	71,028
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(2,683)	13,223	13,768	56,776
5	Total Comprehensive Income /(Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	(1,692)	11,038	12,074	52,359
6	Equity Share Capital	1,510	1,510	1,510	1,510
7	Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				4,92,620
8	Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations)				
	(a) Basic	(8.88)	43.77	45.58	187.95
	(b) Diluted	(8.88)	43.77	45.58	187.95

Note: The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on Company's website at www.marutisuzuki.com.

For and on behalf of Board of Directors

Place: Gurugram
Date: July 29, 2020

(Kenichi Ayukawa)
Managing Director & CEO

वायु सेवा शुल्क : मुम्बई एवं अहमदाबाद-₹ 10.00
मुद्रक तथा प्रकाशक राजीव बेओतरा द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड (एच एम वी एल) के पक्ष में एच टी मीडिया लिमिटेड प्रेस, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, जिला : गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.) से मुद्रित एवं 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : **शशि शेखर** *कार्यकारी सम्पादक* : **प्रताप सोमवंशी*** दूरभाष : (011) 23361234, सम्पादकीय (011) 66561364, 66561263, प्रसार : (011) 66561111, विज्ञापन (011) 66561442, 66561189, फैक्स : (011) 66561451, 66561270 **आर.एन.आई. नं. 509/57**
*सम्पादक इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी।

सुशांत आत्महत्या मामला : बिहार पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई पहुंची

मुंबई, 29 जुलाई (भाषा)।

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ दर्ज 'आत्महत्या के लिए उकसाने' के प्रकरण की जांच करने के लिए बिहार पुलिस की एक टीम बुधवार को मुंबई पहुंची। सुशांत सिंह राजपूत के पिता 74 वर्षीय कृष्ण कुमार सिंह ने मंगलवार को पटना में रिया चक्रवर्ती और छह अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पटना पुलिस की चार सदस्यीय टीम मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त (अन्वेषण- प्रथम) के कार्यालय पहुंची। बिहार पुलिस की टीम में शामिल अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस हमें सहायता कर रही है। हम जांच के बारे में बात नहीं कर सकते हैं।

मुंबई पुलिस के सूत्र ने बताया कि बिहार पुलिस की टीम ने वर्सोवा इलाके में रह रही सुशांत की बहन से भी मुलाकात की और उनका बयान दर्ज किया। उन्होंने बताया कि इससे पहले टीम सुशांत के ब्रांदा स्थित अपार्टमेंट भी गई थी। बिहार पुलिस सुशांत के वित्तीय लेनदेन और बैंक खातों की भी जांच करेगी। छिछोरे, काई पो छे और केदारनाथ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को ब्रांदा स्थित अपने फ्लैट में फंदे से लटके हुए मिले थे।

मुंबई पुलिस भी इस कथित आत्महत्या मामले की जांच कर रही है और फिल्म उद्योग के कई लोगों से पूछताछ की है, लेकिन पूरे मामले में तब आश्चर्यजनक मोड़ आया, जब सुशांत की मौत के बाद से खामोश रहे उनके पिता कृष्ण कुमार सिंह ने मंगलवार को चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों सहित छह लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की शिकायत दर्ज कराई।

प्राथमिकी के मुंबई स्थानांतरण के लिए रिया की शीर्ष अदालत से गुहार

नई दिल्ली, 29 जुलाई (भाषा)।

बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों के साथ पटना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी मुंबई स्थानांतरित करने और बिहार पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।

सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज कराई प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि रिया ने ही उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया। 34 वर्षीय सुशांत का शव मुंबई के उपनगर बांद्रा में 14 जून को अपने अपार्टमेंट में छत से लटका मिला था। इसके बाद से ही मुंबई पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख कर इस मामले की जांच कर रही है।

रिया चक्रवती द्वारा शीर्ष अदालत में याचिका दायर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार पुलिस का चार सदस्यीय दल पहले से ही मुंबई में है और सुशांत के पिता केके सिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के सिलसिले में उनसे पूछताछ कर सकती है। इस प्राथमिकी में आत्महत्या के लिए उकसाने और विश्वास भंग करने सहित अनेक अपराधों के आरोप लगाए गए हैं।रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने बताया कि उन्होंने यह याचिका दायर की है और पटना में दर्ज मामला मुंबई स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है, जहां पहले से ही सुशांत राजपूत की मौत के मामले की जांच चल रही है।

कंगना के खिलाफ अदालत में शिकायत

मुंबई, 29 जुलाई (भाषा)।

शहर के एक वकील ने अदाकारा कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ बुधवार को मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज कराई।

सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दो धार्मिक समूहों के बीच रंजिश बढ़ाने के आरोप में यह शिकायत दर्ज कराई गई है। हाल में ट्विटर ने एक आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर चंदेल का अकाउंट निलंबित कर दिया था। शिकायत करने वाले वकील अली काशिफ खान देशमुख ने बताया कि अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में उनके आवेदन पर 14 अगस्त को पहली सुनवाई होगी।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)

शाखा कार्यालय: 66, जनपथ, नई दिल्ली–110001

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों/गारंटरों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नही कर सकते है। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

कर्जदार/गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
ऋणधारक: 1) मै. प्रीमियर कलर कार्टून्स प्रा.लि. ए–82/3, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली–110052 2) श्रीमती सरिता ब्रत गुप्ता (निदेशक) मै. प्रीमियर कलर कार्टून्स प्रा.लि. ए–82/3, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली–110052 साथ हीः एल–61, कीर्ति नगर, नई दिल्ली–110015 श्री संजीव ब्रत गुप्ता (निदेशक) मै. प्रीमियर कलर कार्टून्स प्रा.लि. ए–82/3, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली–110052 साथ हीः एल–61, कीर्ति नगर, नई दिल्ली–110015 गारन्टरः 1)श्री वेद ब्रत गुप्ता (कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से) एल–61, कीर्ति नगर, नई दिल्ली–110015 2) श्री वेद ब्रत गुप्ता (द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी- सुश्री विभा ब्रत) 54 ए ब्लॉक, अगार नगर, लुधियाना–141012, पंजाब 3)श्री वेद ब्रत गुप्ता (द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी- सुश्री अनु गुप्ता) 257 ए ब्लॉक, अगार, नगर, लुधियाना–141012 4) श्री वेद ब्रत गुप्ता (द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी- श्री संजीव ब्रत गुप्ता) एल–61, कीर्ति नगर, नई दिल्ली–110015	बिक्री प्रलेख सं. 7385 तिथि 7.2.1968 के माध्यम से श्री वेद ब्रत गुप्ता, पुत्र खुशी राम गुप्ता के नाम में मकान सं. एल–61, ब्लॉक–एल, कीर्ति नगर, नई दिल्ली–110015 **चौहद्दीः** उत्तरः सम्पत्ति सं. एल–60 दक्षिणः सम्पत्ति सं. एल–62 पूर्वः रोड पश्चिमः सर्विस लेन	29.12.2019 को एनपीए 14.07.2020 को हमारी बकाया रु. 2,94,66,105.53 (जो सूचना की तिथि को देय मूलधन तथा ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है)

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत धारा 13(2) एवं 13(4) के तहत आपको जारी पूर्व की सभी सूचनाएँ निरस्त एवं अमान्य हैं।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14.07.2020

प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 66, जनपथ, नई दिल्ली-110001

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

रेल विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली – 110066
ईमेलः investors@rvnl.org, वेबसाइट : www.rvnl.org सीआईएनः L74999DL2003GOI118633,

31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही और वार्षिक हेतु पृथक्कृत एवं समेकित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(₹ लाख में सिवाय ईपीएस)

क्र. सं.	विवरण	पृथक्कृत					समेकित				
		तिमाही समाप्त			वर्ष समाप्त		तिमाही समाप्त			वर्ष समाप्त	
		31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से राजस्व	4,22,067.49	3,69,926.50	3,41,844.49	14,53,057.97	10,06,007.06	4,22,067.49	3,69,926.50	3,42,705.56	14,53,057.97	10,06,868.13
2.	अन्य आय	5,657.92	7,385.76	6,219.09	26,557.86	27,263.21	5,661.33	7,387.34	6,221.86	24,568.45	25,524.19
3.	**कुल राजस्व**	**4,27,725.41**	**3,77,312.26**	**3,48,063.58**	**14,79,615.83**	**10,33,270.27**	**4,27,728.82**	**3,77,313.84**	**3,48,927.42**	**14,77,626.42**	**10,32,392.32**
4.	शुद्ध लाभ/(हानि) कर पूर्व	24,875.07	27,986.63	22,815.32	99,084.03	75,831.26	29,879.23	18,541.32	23,371.22	95,431.66	83,948.26
5.	शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात	19,730.31	19,793.60	18,583.91	78,985.97	60,658.65	24,734.15	10,348.15	19,139.78	75,332.27	68,774.35
6.	अपवाद मदें			1,242.35		1,242.35			1,242.35		1,242.35
7.	अवधि/वर्ष हेतु कुल सम्मिलित आय/(हानि)	-161.95	-32.04	-154.36	-204.95	-154.16	-161.27	-32.03	-154.36	-204.27	-154.02
8.	प्रदत्त – इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 10 प्रति शेयर)	208502.01	208502.01	208502.01	208502.01	208502.01	208502.01	208502.01	208502.01	208502.01	208502.01
9.	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर) (लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार)				2,41,474.58	1,65,373.50				3,03,087.91	2,31,054.85
10.	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)										
10.1.	मूल (रू.)	0.95	0.95	0.89	3.79	2.91	1.19	0.50	0.92	3.61	3.30
10.2.	तनुकृत (रू.)	0.95	0.95	0.89	3.79	2.91	1.19	0.50	0.92	3.61	3.30

टिप्पणियां :

1. उपरोक्त वित्तीय परिणामों का पुनरीक्षण एवं अनुशंसा लेखापरीक्षा समिति द्वारा और अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा उनकी दिनांक **29 जुलाई, 2020** को सम्पन्न बैठक में किया गया था तथा कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जा चुकी है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा असंशोधित मत व्यक्त किया गया है।
2. अंतिम तिमाही हेतु आंकड़े पूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों तथा संबंधित वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक वर्षाद्यतन प्रकाशित आंकड़ों के बीच संतुलनकारी आंकड़े हैं।
3. पृथक्कृत और समेकित वित्तीय परिणाम भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसाकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 और कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 तथा जहां तक संभव है, अन्य मान्य लेखांकन पद्धतियों और नीतियों के अधीन अधिसूचित है।
4. कम्पनी और समूह एक एकल प्रतिवेदनीय प्रचालन खंड 'रेल अवसंरचना का विकास' में परिचालन करता है। अतः आईएनडी एएस 108 – प्रचालन खंड के अनुसार कोई पृथक प्रचालन खंड नहीं है।
5. लीजेज – आईएनडी एएस 116 पर नए लेखांकन मानकों का अंगीकरण कम्पनी ने 01 अप्रैल, 2019 के प्रभाव से, संशोधित पूर्वप्रभावी विधि का उपयोग करते हुए आईएनडी एएस 116 'लीजेज' अपनाए हैं और इसलिए तुलनात्मक विवरण नही दिए गए हैं। आरंभिक अनुप्रयोग की तिथि को लीज देयता का मापन शेष लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य और आस्ति के उपयोग–के–अधिकार पर किया गया है तथा लीज देयता के बराबर राशि को मान्यता प्रदान की है। आईएनडी एएस 116 अपनाने का कम्पनी के वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।
6. दिनांक 20 सितम्बर, 2019 को जारी कराधान विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से आय कर अधिनियम, 1961 में धारा 115बीएए अंतर्वेशित की गई है, जो घरेलू कम्पनियों को कुछ शर्तों के अधीन, 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी घटी दरों पर कार्पोरेट टैक्स का भुगतान करने के गैर–परिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग करने हेतु सक्षम बनाती हैं। कम्पनी और समूह फिलहाल इस विकल्प का मूल्यांकन कर रहे हैं।
7. निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए रू. 10/– के अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रू. 1.14 प्रति इक्विटी शेयर का लाभांश संस्तुत किया है, जो एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किए जाने की शर्त के अधीन है।
8. सम्पूर्ण विश्व और भारत में कोविड–19 फैलने के कारण, प्रबंधन आकलन की दृष्टि से, समूह के व्यवसाय पर संभावित प्रभाव केवल अल्प अवधि के लिए है तथा मध्यम और दीर्घ अवधि की ऐसी कोई जोखिम नहीं है, जिसका चालू कम्पनी के रूप में कम्पनी की निरंतरता की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। वर्ष 2019–2020 में कम्पनी के वित्तीय निष्पादन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा था। तथापि, वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण आकस्मिकताओं, के आधार पर रू. 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है, क्योंकि क्षति की मात्रा/आकार अज्ञात है। इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि तक आंतरिक और बाह्य सूचना के आधार पर, कम्पनी इसकी आस्तियों, निवेशों, व्यापार प्राप्यों, संविदा आस्तियों की वहन राशियों से उबर जाने की आशा करती है।
   समूह ने 2020–2021 में वित्तीय और भौतिक निष्पादन पर कोविड–19 के प्रभाव का आकलन किया है, जो (i) अपर्याप्त निधियों का प्रावधान, (ii) लॉकडाउन अवधि के दौरान श्रमिकों तथा माल की अनुपलब्धता, (iii) परिवहन इत्यादि पर प्रतिबंधों के प्रभाव के कारण हो सकता है, उक्त आकलित प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।
   इसके अतिरिक्त, कम्पनी की व्यवसाय योजनाओं और 2020–21 में परियोजना निष्पादन के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने हेतु रेल मंत्रालय के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन के पूर्वानुमान के अनुसार, इसके व्यवसाय प्रचालनों को जारी रखने मे कोई अनिश्चितता नही है। तथापि, कम्पनी भावी अवधियों में व्यवसाय प्रचालनों के साथ संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं की पहचान के लिए आने वाले घटनाक्रम पर निगरानी जारी रखेगी।
9. पूर्व अवधियों/वर्ष के आंकड़े, चालू अवधि/वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।
10. लेखापरीक्षित लेखा विवरण भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत पुनरीक्षण के अधीन हैं।
11. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए **31–03–2020** को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। उपरोक्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट **www.bseindia.com, www.nseindia.com** और कम्पनी की वेबसाइट **www.rvnl.org** पर उपलब्ध है।

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 29–07–2020

कृते एवं हिते रेल विकास निगम लिमिटेड
हस्ता/-
प्रदीप गौड़
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07243986

DCM NOUVELLE

DCM NOUVELLE LIMITED

Registered office: 407, Vikrant Tower, 04, Rajendra Place, New Delhi-110008
Corporate Identity Number: L17309DL2016PLC307204
Phone: 011-43678490
E-mail: dcmnouvelleltd@gmail.com, Website: www.dcmnvl.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, August 06, 2020 to consider and approve, the unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2020.

The information contained in this notice is also available on the Company website www.dcmnvl.com and on the website of Stock Exchanges, i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For **DCM Nouvelle Limited**
Kunal Agrawal
Company Secretary

Place : New Delhi
Dated : July 29, 2020

इंडिया एक्सपोसिशन मार्ट लिमिटेड

सीआईएनः U99999DL2001PLC110396

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 1; 210 -अटलांटिक प्लाजा, दूसरी मंजिल, स्थानीय शॉपिंग सेंटर, मयूर विहार फेज-I, दिल्ली- 110091, टेलीफोन : +91-120-2328011-20 फैक्स: 0120-2328010 ईमेल आईडी : cs@indiaexpocentre.com, वेबसाइट : www.indiaexpomart.com

शेयरधारकों के सूचनार्थ

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में दावारहित लाभांश एवं इक्विटी शेयरों का अंतरण

कंपनी के शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित समय-समय पर संशोधित निवशेक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण एवं प्रतिदाय) नियम 2016 के अनुसरण में वे सभी शेयर जिनके लाभांश (डिविडेंड) सात लगातार वर्षों या अधिक समय के लिए दावारहित हैं, उसे 1 नवम्बर, 2020 को निवेशक एवं शिक्षा सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा।

उक्त नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने सभी संबंधित शेयरधारकों को पृथक रूप से नोटिस भेजा है जिन्होंने सात लगातार वर्षों तक अपने लाभांश का नकदीकरण नहीं किया है एवं जिनके शेयर आईईपीएफ में अंतरित किए जाने के अधीन हैं। कंपनी ने शेयरधारकों का विवरण भी अपनी वेबसाइट www.indiaexpomart.com पर इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन के अंतर्गत अपलोड किया है जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अंतरित किए जाने के अधीन है।

इस सम्बंध में, कृपया ध्यान रखें कि भौतिक स्वरूप में धारित शेयरों के लिए, एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा एवं आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा। सदस्य द्वारा धारित शेयरों के लिए मूल शेयर सर्टिफिकेट जो आपके नाम पर पंजीकृत है, स्वतः रद्द माना जाएगा।

यदि कंपनी की नियत तिथि अर्थात 1 नवम्बर, 2020 को या उससे पूर्व सम्बंधित सदस्यों से कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो नियम में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए कंपनी, उक्त नियमों की आवश्यकता के अनुसार आगे बिना कोई सूचना दिए शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित करेगी। कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुपालन में आईईपीएफ में अंतरित गैर-प्रदत्त/दावारहित लाभांश और शेयरों के संबंध में कंपनी के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

इस विषय में कोई स्पष्टीकरण/सहयोग के लिए, सम्बंधित सदस्य कंपनी को उसके कॉर्पोरेट कार्यालय, इण्डिया एक्सपोसिशन मार्ट लि०, प्लॉट नं० 23-25 एवं 27-29, नॉलेज पार्क -II, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर - 201 306 के पते पर लिख सकते हैं या कंपनी को cs@indiaexpocentre.com पर ईमेल कर सकते हैं।

कृते इण्डिया एक्सपोसिशन मार्ट लि०
हस्ताक्षर
अनुपम शर्मा
कंपनी सचिव

तिथि : 30 जुलाई, 2020
स्थान : नई दिल्ली

MARUTI SUZUKI

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

Registered Office: Plot No.1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi - 110070
CIN: L34103DL1981PLC011375; Website: www.marutisuzuki.com; E-mail: investor@maruti.co.in; Phone: + 91-11-46781000; Fax: +91-11-46150275/76

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020

INR in million, except per share data

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended
		June 30, 2020	March 31, 2020	June 30, 2019	March 31, 2020
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	41,065	1,81,987	1,97,198	7,56,106
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	(3,457)	15,755	19,109	70,648
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(3,457)	15,755	19,109	70,648
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(2,494)	12,917	14,355	56,506
5	Total Comprehensive Income /(Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income /(Loss) (after tax)]	(1,507)	10,732	12,661	52,089
6	Equity Share Capital	1,510	1,510	1,510	1,510
7	Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				4,82,860
8	Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations)				
	(a) Basic	(8.26)	42.76	47.52	187.06
	(b) Diluted	(8.26)	42.76	47.52	187.06

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020

INR in million, except per share data

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended
		June 30, 2020	March 31, 2020	June 30, 2019	March 31, 2020
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	41,106	1,82,077	1,97,326	7,56,600
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	(3,697)	16,186	18,530	71,028
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(3,697)	16,186	18,530	71,028
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(2,683)	13,223	13,768	56,776
5	Total Comprehensive Income /(Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	(1,692)	11,038	12,074	52,359
6	Equity Share Capital	1,510	1,510	1,510	1,510
7	Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				4,92,620
8	Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations)				
	(a) Basic	(8.88)	43.77	45.58	187.95
	(b) Diluted	(8.88)	43.77	45.58	187.95

Note: The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on Company's website at www.marutisuzuki.com.

For and on behalf of Board of Directors

(Kenichi Ayukawa)
Managing Director & CEO

Place: Gurugram
Date: July 29, 2020

www.readwhere.com

Jaypee homebuyers move SC for quick action on NBCC resolution plan

INDU BHAN
New Delhi, July 29

JAYPEE HOMEBUYERS ON Wednesday moved the Supreme Court against the National Company Law Appellate Tribunal's April order that gave conditional nod to state-owned-NBCC to implement its proposal to acquire debt ridden Jaypee Infratech and complete over 20,000 stalled flats. The NCLAT had asked NBCC to implement its plan, but said that the direction will be subject to its final order.

A bench led by Justice AM Khanwilkar issued notice to NBCC, Jaypee Infratech's Interim Resolution Professional Anuj Jain, IDBI Bank and others on a joint appeal filed by homebuyers seeking immediate implementation of the NBCC's resolution plan which has been approved by the Committee of Creditors and the National Company Law Tribunal on March 3. The case will be next heard on August 6.

Homebuyers through their associations alleged that NCLAT had erroneously directed the IRP to constitute the Interim Monitoring Committee (IMC), despite there being no provision for the same in the Insolvency and Bankruptcy Code 2016.

Senior counsel Jaideep Gupta, appearing for homebuyers, alleged that the NCLAT order is 'without jurisdiction'

The NCLAT failed to appreciate that Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) took more than two years to conclude and the NCLAT has now thrown a spanner in the works by creating an IMC, which is not contemplated in the scheme of the Code and which surpasses the commercial wisdom of CoC, the homebuyers said in their appeal. Besides, the NCLAT order defeats the entire purpose of the Code, which provides for a time-bound CIRP, they said, adding that the IMC has given a cover to NBCC to implement the RP for an indefinite amount of time.

Even setting up of an IMC was in direct contradiction with the basic purpose of the resolution, the petition stated, adding that such a committee was not only "illegally constituted" but had rendered the delivery schedule in the plan meaningless.

Senior counsel Jaideep Gupta, appearing for homebuyers, alleged that the NCLAT order is "without jurisdiction" and once the NCLT approves the RP, it becomes mandatory and binding on the NBCC and all the rights and liabilities of the successful resolution applicant are then governed by the resolution plan itself. The NCLAT order is also prejudicial to them as the non-implementation of the resolution plan has only prolonged their suffering (being delayed construction, delivery and possession of flats), the homebuyers stated. IDBI Counsel Bishwajit Dubey also told the SC that NBCC should implement the plan.

While the NCLT had approved NBCC's bid, the tribunal had also ordered that the ₹750 crore deposited by Jaypee Infratech's parent firm Jaiprakash Associates Ltd (JAL) with the SC registry would be part of the resolution plan. NBCC had challenged these modifications made by the NCLT in the original resolution plan.

IDBI Bank-led consortium had initiated insolvency proceedings against JIL for failing to repay debt of around ₹24,000 crore.

'India can be among top five agri goods exporters'

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, July 29

BY SHIFTING ITS focus on cultivation and effectively handholding farmers, the country can be among the top-five exporters of agro commodities, according to a report by the World Trade Centre.

The report comes at a time when the government has announced some reforms in the farm sector by allowing farmers to sell produce outside the regulated APMC markets, and relaxing the Essential Commodities Act, among others, which can help boost exports.

With an annual agro exports of $39 billion in 2019, the country is ranked eighth, after the EU ($181 billion), the US ($172 billion), Brazil ($93 billion), China ($83 billion), Canada ($69 billion), Indonesia ($46 billion) and Thailand ($44 billion), the WTC report said quoting the 2019 WTO data.

"Through focused intervention in capacity-building, we can enhance our agro exports to surpass Thailand and Indonesia, and become the fifth-largest exporter in the world," according to the report.

WTO to set up dispute panels in ICT tariff case against India

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, July 29

THE DISPUTE SETTLEMENT body of the World Trade Organisation (WTO) has accepted the request of Chinese Taipei and Japan for setting up panels in an ICT tariff case against India, an official source said.

The panels would determine whether India's customs duties on imports of certain information and communications technology (ICT) products infringe WTO norms or not.

"Yes, the WTO dispute settlement body has agreed to set up the panels as requested by Chinese Taipei, and Japan in a meeting today. This was the second request of these countries," the source added.

Both Chinese Taipei and Japan have filed separate requests for the establishment of a dispute panel.

Earlier, India had blocked the first request of these two countries for setting up a dispute settlement panel at the WTO.

According to the trade dispute norms of WTO, if a request comes for the second time, the panel is formed.

In May last year, both the countries filed a case against India in WTO over the import duties imposed on certain electronic goods, including telephones for cellular networks; machines for reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or other data; and parts of telephone sets.

They alleged that imposition of import duties on these products by India infringes WTO norms as India has committed zero per cent bound tariffs on these products.

India strongly opposed these allegations.

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

RAIL VIKAS NIGAM LIMITED

(A Govt. of India Enterprise)

Registered office: 1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi, South Delhi -110066
E-mail: investors@rvnl.org Website: www.rvnl.org; CIN: L74999DL2003G01118633

EXTRACT OF STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

(₹ in lakhs except EPS)

Sl. No.	Particulars	Standalone					Consolidated				
		Quarter Ended			Year Ended		Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.2020 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.03.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2020 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.03.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2019 (Audited)
1.	Revenue from Operations	4,22,067.49	3,69,926.50	3,41,844.49	14,53,057.97	10,06,007.06	4,22,067.49	3,69,926.50	3,42,705.56	14,53,057.97	10,06,868.13
2.	Other Income	5,657.92	7,385.76	6,219.09	26,557.86	27,263.21	5,661.33	7,387.34	6,221.86	24,568.45	25,524.19
3.	**Total Income**	**4,27,725.41**	**3,77,312.26**	**3,48,063.58**	**14,79,615.83**	**10,33,270.27**	**4,27,728.82**	**3,77,313.84**	**3,48,927.42**	**14,77,626.42**	**10,32,392.32**
4.	Net Profit/ (Loss) Before Tax	24,875.07	27,986.63	22,815.32	99,084.03	75,831.26	29,879.23	18,541.32	23,371.22	95,431.66	83,948.26
5.	Net Profit/ (Loss) After Tax	19,730.31	19,793.60	18,583.91	78,985.97	60,658.65	24,734.15	10,348.15	19,139.78	75,332.27	68,774.35
6.	Exceptional items			1,242.35		1,242.35			1,242.35		1,242.35
7.	Total Comprehensive Income/(loss) for the period/year	-161.95	-32.04	-154.36	-204.95	-154.16	-161.27	-32.03	-154.36	-204.27	-154.02
8.	Paid Up - Equity Share Capital (Face Value @ Rs.10 per share)	208502.01	208502.01	208502.01	208502.01	208502.01	208502.01	208502.01	208502.01	208502.01	208502.01
9.	Other Equity (Excluding Revaluation Reserve)(As per Audited Balance Sheet)				2,41,474.58	1,65,373.50				3,03,087.91	2,31,054.85
10.	Earning Per Share (EPS)										
10.1.	Basic (Rs.)	0.95	0.95	0.89	3.79	2.91	1.19	0.50	0.92	3.61	3.30
10.2.	Diluted (Rs.)	0.95	0.95	0.89	3.79	2.91	1.19	0.50	0.92	3.61	3.30

Note:

1. The above Standalone & Consolidated financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on **29th July, 2020** and have been audited by Statutory auditors of the company. The Statutory auditors have expressed an unmodified opinion.
2. Figures of last quarter are balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the relevant financial year.
3. The Standalone & Consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) amendment Rules, 2016 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
4. The Company as well as Group operates in a single reportable operating Segment' Development of Rail Infrastructure'. Hence there are no separate operating segments as per with Ind AS 108 -Operating Segments.
5. Adoption of new accounting standard on Leases - Ind AS 116"
   The Company has adopted Ind AS 116 'Leases' effective 1st April 2019, using modified retrospective approach and therefore the comparatives have not been restated. On the date of initial application, the lease liability has been measured at the present value of the remaining lease payments and Right of use assets has been recognized at an amount equal to the lease liabilities. Application of Ind AS 116 does not have any material impact on the financial results of the Company.
6. Section 115BAA has been inserted in the Income Tax Act, 1961 vide Taxation laws (Amendment) Ordinance, 2019 issued on 20th September 2019 which enables domestic companies to exercise a non-reversible option to pay corporate tax at reduced rates effective 1st April 2019 subject to certain conditions. The Company as well as Group are currently evaluating this option.
7. The BoD has recommended a Dividend of Rs. 1.14 per equity share on face value of Rs. 10/- per equity share for the financial year 2019-2020, subject to the approval of the shareholders at the AGM.
8. Due to outbreak of COVID-19 globally and in India, in view of the Management assessment, likely impact on the business of the Group is only for short term and no medium to long term risks is perceived which will have an impact on Company's ability to continue as a going concern. In 2019-20, there was no significant impact on financial performance of the Company. However a provision Rs. 50 Crores on account of contingencies due to pandemic COVID 19, as quantum / size of damage is not known is made. Based on the internal and external information upto the date of approval of these financial statements ,the company expects to recover the carrying amount of its assets , investments, trade receivables, contract assets .
   The Group has assessed the impact of COVID-19 on financial and physical performance in 2020-21, which may be due to (i) provision of inadequate funds, (ii) unavailability of labourers and goods during lock down period, (iii) impact of restrictions on transportation etc., impact so assessed is not much significant.
   Further, considering the Company's business plans and the assurance of the Ministry of Railways to provide adequate funds for project execution in 2020-21, the Management do not foresee any uncertainty in continuing its business operations. However, Company will continue to monitor developments to identify significant uncertainties relating to business operations in future periods.
9. Figures for the previous periods / year have been re-grouped / re-classified / re-casted to conform to the classification of the current period / year.
10. The Audited Accounts are subject to review by Comptroller and Audit General of India under section 143(6) of Companies Act 2013.
11. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended **31st March, 2020** filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The complete format of the Financial Results is available on the Stock Exchange(s) websites at **www.bseindia.com**, **www.nseindia.com** and on Company's website **www.rvnl.org.**

For and on behalf of Rail Vikas Nigam Limited
Sd/-
Pradeep Gaur
Chairman & Managing Director
DIN:07243986

Place : New Delhi
Dated : 29.07.2020

BIRLA CORPORATION LIMITED

CIN : L01132WB1919PLC003334
Registered Office:
Birla Building, 9/1, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001
E-mail: coordinator@birlacorp.com, Website: www.birlacorporation.com
Phone: (033) 6616 6745/6729; Fax: (033) 2248 2872/7988

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 7th August, 2020, *inter alia*, to consider and approve the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2020.

The said information is also available on the Company's website at www.birlacorporation.com and may also be accessed on the website of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For **BIRLA CORPORATION LIMITED**
Sd/-
(GIRISH SHARMA)
Jt. President (Indirect Taxes)
& Company Secretary

Place : Kolkata
Date : 29th July, 2020

PUBLIC NOTICE

FORM URC-2

ADVERTISEMENT GIVING NOTICE ABOUT REGISTRATION UNDER PART I OF CHAPTER XXI [PURSUANT TO SECTION 374(B) OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULE 4(1) OF THE COMPANIES (AUTHORISED TO REGISTER) RULES, 2014]

NOTICE IS HEREBY GIVEN that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Registrar of Companies at Ministry Of Corporate Affairs, C/6-7, 1st Floor, Residency Area, Civil Lines, Jaipur-302001 that **TARUCHAYA COLONIZERS LLP** a LLP may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares.

2.The principal objects of the company are as follows:

a) To carry on the business of Land Development and building constructions and allied activities.

3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the registered office at D-701, DIAMAND TOWER, PLOT NO 4 & 5 SOMDATTS LANDMARK, HAWA SADAK, CIVIL LINES JAIPUR RAJASTHAN 302006

4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar of Companies at Ministry Of Corporate Affairs, C/6-7, 1st Floor, Residency Area, Civil Lines, Jaipur-302001, within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.

Name(s) of Applicant

1. VINAY TAMBI
2. PAWAN KUMAR BIYANI
3. PANKAJ GOVERDHAN KHANDELWAL

Date: 27/07/2020

BIRLA CORPORATION LIMITED

CIN: L01132WB1919PLC003334
Registered Office: Birla Building, 9/1, R.N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001
Phone: (033) 6616 6729/6737/6738, Fax: (033) 2248 7988/2872
E-mail: investorsgrievance@birlacorp.com, Website: www.birlacorporation.com

NOTICE OF THE 100TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the One Hundredth Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, 25th August, 2020 at 10.30 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice convening the AGM.

The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder ("Act"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with the provisions of Circulars dated 5th May, 2020,13th April, 2020 and 8th April, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular dated 12th May, 2020 issued by SEBI.

In accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular dated 12th May, 2020, Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2019-2020 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2019-2020 will also be available on the Company's website at www.birlacorporation.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Members can participate in AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM. The Company will be providing remote e-Voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. In addition, the facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM. Only those Members who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting, and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through electronic voting system at the AGM. The Company has appointed National Securities Depository Limited for facilitating voting through electronic means. Detailed procedure for remote e-Voting and voting at the AGM by the Members holding shares in the dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of AGM.

Members who have not yet registered their email addresses and phone number are requested to follow the process mentioned below:

a. Members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses and phone number by writing to the Registrar & Share Transfer Agent (RTA)/Company at mcssta@rediffmail.com and investorsgrievance@birlacorp.com respectively, along with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio no., address of the Member, self-attested copy of the PAN card and self-attested copy of any document (e.g.: Driving License, Bank Statement, Election Identity Card, Passport, Aadhaar Card) in support of the address of the Member.

b. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses and phone number with the relevant Depository Participants.

The Board of Directors of your Company at its meeting held on 22nd May, 2020 has recommended a dividend of ₹7.50/- per equity share having nominal value of ₹10/- each for the financial year ended 31st March, 2020. The dividend, as recommended by the Board, if approved at the AGM, will be paid to eligible shareholders within 30 days from the date of AGM.

Members who have not updated their bank account details for receiving the dividend directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means may follow the below instructions:

a. Members holding shares in physical form are requested to send copy of signed request letter mentioning their name, address and folio no. to the Company's RTA, M/s. MCS Share Transfer Agent Limited, 383, Lake Gardens, 1st Floor, Kolkata - 700045, along with original cancelled cheque leaf/attested bank passbook showing name of the Account Holder.

b. Members holding shares in demat form are requested to intimate any change in their address and/or bank mandate immediately to their respective Depository Participants.

In terms of the MCA Circulars and SEBI Circular, in case where the Company is unable to pay the dividend to any Member by electronic mode, due to non-availability of their bank details, the Company shall dispatch the dividend warrant/cheque to such Member, upon normalisation of postal services.

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of Members w.e.f. 1st April, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to Members at the prescribed rates in the Income Tax Act, 1961. Communication in this regard has been emailed to the Members and is also available on the Company's website at https://www.birlacorporation.com/notice.html.

For **BIRLA CORPORATION LIMITED**
Sd/-
GIRISH SHARMA
Jt. President (Indirect Taxes) &
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 29th July, 2020

MARUTI SUZUKI

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

Registered Office: Plot No.1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi - 110070
CIN: L34103DL1981PLC011375; Website: www.marutisuzuki.com; E-mail: investor@maruti.co.in; Phone: + 91-11-46781000; Fax: +91-11-46150275/76

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020

INR in million, except per share data

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended
		June 30, 2020 (Unaudited)	March 31, 2020 (Unaudited)	June 30, 2019 (Unaudited)	March 31, 2020 (Audited)
1	Total Income from Operations	41,065	1,81,987	1,97,198	7,56,106
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	(3,457)	15,755	19,109	70,648
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(3,457)	15,755	19,109	70,648
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(2,494)	12,917	14,355	56,506
5	Total Comprehensive Income /(Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income /(Loss) (after tax)]	(1,507)	10,732	12,661	52,089
6	Equity Share Capital	1,510	1,510	1,510	1,510
7	Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				4,82,860
8	Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations)				
	(a) Basic	(8.26)	42.76	47.52	187.06
	(b) Diluted	(8.26)	42.76	47.52	187.06

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020

INR in million, except per share data

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended
		June 30, 2020 (Unaudited)	March 31, 2020 (Unaudited)	June 30, 2019 (Unaudited)	March 31, 2020 (Audited)
1	Total Income from Operations	41,106	1,82,077	1,97,326	7,56,600
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	(3,697)	16,186	18,530	71,028
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(3,697)	16,186	18,530	71,028
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(2,683)	13,223	13,768	56,776
5	Total Comprehensive Income /(Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	(1,692)	11,038	12,074	52,359
6	Equity Share Capital	1,510	1,510	1,510	1,510
7	Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				4,92,620
8	Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations)				
	(a) Basic	(8.88)	43.77	45.58	187.95
	(b) Diluted	(8.88)	43.77	45.58	187.95

Note: The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on Company's website at www.marutisuzuki.com.

For and on behalf of Board of Directors

(Kenichi Ayukawa)
Managing Director & CEO

Place: Gurugram
Date: July 29, 2020